

## आदेश

जामिया का कोरोना संबंधी सरकार के आदेशों का सख्ती से पालन करने का आदेश

दिल्ली के कोरोना महामारी के प्रमुख हॉटस्पॉटों में से एक के रूप में उभरने को देखते हुए , एमएचए / एमओएच एंड एफडब्ल्यू / एनसीटी दिल्ली सरकार/ दिल्ली पुलिस आदि की तरफ से जारी किए गए विभिन्न सुरक्षा दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। आसपास के इलाकों के साथ, जिनमें से कुछ इलाके कन्टेन्मन्ट ज़ोन में आते हैं, उनकी विश्वविद्यालय परिसर की निकटता को ध्यान में रखते हुए, जामिया प्रतिष्ठान और कर्मचारी आवासीय क्वार्टर सुरक्षा दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करें।

इसके लिए निम्नलिखित आदेश जारी किए गए हैं:

1. परिसर की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए केवल गेट नंबर 4 और 13 आने-जाने के लिए खुले होंगे। बाकी गेटों को अगले आदेश तक बंद रखा जाए।
2. सोशल डिस्टन्सिंग मानदंडों का पालन करने के लिए, एमएचए के निर्देशों के अनुसार सभी धार्मिक / सामाजिक / सांस्कृतिक समारोहों पर रोक लगाई जाती है।
3. कोरोना पॉज़िटिव के उभरते नए मामलों और आसपास के पॉकेट्स को कन्टेन्मन्ट ज़ोन के रूप में घोषित करने के मद्देनज़र, सोशल डिस्टन्सिंग मानदंडों का पालन करना ज़रूरी है और हालात में सुधार होने तक मस्जिदों में जाने से बचने की कोशिश करें। आवासीय कॉलोनियों में मस्जिद को सिर्फ़ इमाम, मुअज़्ज़िन और देखभाल करने वाले की मौजूदगी तक ही सीमित रखें।
4. आवासीय संगठनों से अनुरोध किया जाता है कि वह प्रोएक्टिव हों और निम्नलिखित कदम उठाकर सुरक्षा दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करें:
  - ए) मेहमानों सहित किसी भी बाहरी व्यक्ति को आने की इजाज़त नहीं हो।
  - बी) रिहायशी परिसर में आने-जाने के एक से ज़्यादा गेटों को फौरन बंद किया जाए और अधिकृत प्रवेश के लिए सिर्फ़ एक गेट का इस्तेमाल हो।
  - सी) किसी भी तरह के जमावड़े की इजाज़त नहीं होगी।

- डी) सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए।
- इ) किसी में कोरोना संक्रमण के संभावित लक्षण की खबर मिलने पर फौरन चिकित्सा हस्तक्षेप के लिए सूचित किया जाए। संदिग्ध मामलों को छिपाने या उसकी खबर नहीं देने की किसी भी कोशिश को गंभीरता से लिया जाएगा।

आखिर में, एक बार फिर सभी से कोरोना के खिलाफ एकजुट हो कर लड़ने में सहयोग की अपील की जाती है।

(ए.पी. सिद्दीकी) आई.पी.एस.  
रजिस्ट्रार  
जामिया मिल्लिया इस्लामिया